

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 31.01.2026

नकबजनी/चोरी का अपराध कारित करने वाले 02 नफर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना कैण्ट द्वारा गैंग लीडर हसन खान पुत्र स्व0 साजिद खान निवासी चौरा थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर व गैंग के सदस्य 1. मोनू गौड़ उर्फ बाबा नायक पुत्र सुनील गौड़ निवासी भभवली चौराहा सरया थाना मदनपुर जनपद देवरिया हाल पता अशोक गुप्ता के मकान में भरवलिया बुजुर्ग थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर हसन खान उपरोक्त अपने गिरोह के सदस्य के साथ मिलकर नकबजनी/चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर हसन खान व गैंग का सदस्य 1. मोनू गौड़ उर्फ बाबा नायक के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. गैंग लीडर हसन खान पुत्र स्व0 साजिद खान निवासी चौरा थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर

- i. मु0अ0सं0 609 /2025 धारा 331(4),305(ए) 317(2), 112 बीएनएस थाना कैण्ट गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 65/2016 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना रुद्रपुर देवरिया
- iii. मु0अ0सं0 251/2014 धारा 380/411/457 भादवी थाना चौरी चौरा गोरखपुर
- iv. मु0अ0सं0271/2014 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना चौरी चौरा गोरखपुर
- v. मु0अ0सं0 1405/08 धारा 147/323/504/506/427/452/354 भा0द0वि0 व 3(1)(X)/SC/ST ACT थाना चौरी चौरा गोरखपुर
- vi. मु0अ0सं0 78/2016 धारा 41/411/419/420 भादवी व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौरी चौरा गोरखपुर
- vii. मु0अ0सं0 319/14 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगस्टर एक्ट थाना चौरी चौरा गोरखपुर
- viii. मु0अ0सं0 10/2014 धारा 379/411 भादवी व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना बड़हलगंज गोरखपुर
- ix. मु0अ0सं0 189/2022 धारा 379/411 भादवी थाना बांसी सिद्धार्थनगर
- x. मु0अ0सं0 198/2023 धारा 3(1)यूपी गैगस्टर एक्ट थाना बांसी सिद्धार्थनगर

2. मोनू गौड़ उर्फ बाबा नायक पुत्र सुनील गौड़ निवासी भभवली चौराहा सरया थाना मदनपुर जनपद देवरिया हाल पता अशोक गुप्ता के मकान में भरवलिया बुजुर्ग थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

- i. मु0अ0सं0 609 /2025 धारा 331(4),305(ए), 317(2),112 BNS थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 134/2018 धारा 399,402 IPC थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- iii. मु0अ0सं0 136/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- iv. मु0अ0सं0 105/2015 धारा 302 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- v. मु0अ0सं0 514/2019 धारा 147,148,149,323,332,336,34,353,504 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर